मेसर्स एमबी पॉवर (छत्तीसगढ़) लिमिटेड द्वारा ग्राम–बिर्रा, सिलादेही एवं गतवा ब्लाक बम्हनीडीह तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर –चांपा (छत्तीसगढ) में प्रस्तावित 2×660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर किटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2011, को ग्राम–बिर्रा में स्थित सिंचाई कॉलोनी के पास मैदान मे संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स एमबी पॉवर (छत्तीसगढ़) लिमिटेड ग्राम–बिर्रा, सिलादेही एवं गतवा, ब्लॉक–बम्हनीडीह, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित 2x660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के लिए, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 21 अक्टूबर 2011, समय दोपहर 12.00 बजे से, स्थान ग्राम–बिर्रा, जिला–जांजगीर–चांपा में सिंचाई कॉलोनी के पास मैदान मे श्री के. एल. चौहान, अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता एवं डॉ0 सी0 बी0 पटेल क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया। जनसामान्य को यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के प्रकाशन दिनांक से लोक सुनवाई तिथि तक परियोजना स्थापना के संबंध में 412 सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई से सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित मे प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा मेसर्स एमबी पॉवर (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, के प्रतिनिधि को उद्योग के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

मेसर्स एमबी पॉवर (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, के प्रतिनिधि श्री गोपाल कृष्ण, उपाध्यक्ष परियोजना एवं परियोजना के छत्तीसगढ़ प्रमुख द्वारा प्रस्तावित 2x660 मेगावॉट थर्मल पॉवर प्लांट विथ सुपर क्रिटीकल बॉयलर के संबंध में जन सामान्य को उद्योग एवं उद्योग से संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित 2x660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में ग्राम–बिर्रा, सिलादेही एवं गतवा सहित आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखा। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **श्री दीपक पाल, पंच ग्राम पंचायत बिर्रा वार्ड क्रं0 12**– आदरणीय महोदय, आज संपन्न होने जा रही जन सुनवाई में मैं आपके समक्ष कुछ मांग समस्त ग्रामवासियों के सामने पढ़ कर रखना चाहता हूँ, जिसे मै लिखित भी दे रहा हूँ।

1. मुआवजें की राशि को 30 लाख रूपया प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
2. प्रभावित ग्रामों के नागरिकों को शिक्षा, बिजली, पानी की सुविधा दिया जाए।
3. पॉवर प्लांट के आय में से 10 प्रतिशत की राशि ग्राम विकास पर खर्च किया जाए।
4. महाविद्यालय एवं आईटीआई का निर्माण कराया जाए।
5. सर्वसुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण कराया जाए।
6. प्रभावित ग्रामों के नागरिकों को और कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिया जाए।
7. प्रत्येक खातेदारों के सदस्यों को पेंशन की पात्रता दी जाए। योग्यता अनुसार व जिसके पास योग्यता नहीं है, उस परिवार के सदस्यों को पेंशन की पात्रता दिया जाए ।
8. 90 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को नौकरी दिया जाए।
9. ग्राम पंचायत बिर्रा को प्लांट द्वारा गोद लिया जाए।
10. ग्राम पंचायत बिर्रा की सौंदर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं का विस्तार प्लांट द्वारा किया जाए।

अगर इस मांग से उद्योग प्रबंधन सहमत है तो मैं इस प्लांट की स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त करता हूं।

2. **श्री घनश्याम प्रसाद कर्ष, ग्राम–बिर्रा–** मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पॉवर प्लांट लगाया जाए। उस पर केन्द्रीय शासन द्वारा एवं छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाए। क्षेत्र में वन के हिसाब से वृक्षारोपण किया जाए एवं शिक्षा हेतु उच्च तकनीकी महाविद्यालय प्लांट द्वारा खोला जाए। यहां अस्पताल की सुविधा नहीं है। यहां कम से कम 100 बेड की अस्पताल, प्लांट द्वारा खोला जाए। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को एकमुश्त दिया जाए। क्षेत्र के बिर्रा एवं सिलादेही, गतवा आश्रित ग्रामीणों को गोद लिया जाए।

3. **श्री त्रियुगी कुमार दूबे, ग्राम–बिर्रा–** भौगोलिक दृष्टि में देखें जाए तो आज से 30 साल पहले सन् 1982–83 में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री एसपी शर्मा ने उद्योग स्थापित करने का सपना देखा था। जो आज जाकर पूरा हो गया। इससे सरकार को भी लाभ होगा और बेरोजगारो को भी लाभ होगा। यह बात करने में हम ऐसे माहौल बनाये और खोलने में मदद करें। वास्तव में हमारे मोहल्ले में बैठक हुई थी, जिसमे किसान लोग, उद्योग प्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण एवं राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि बैठक करने वाले लोग 14 लाख रूपया मुआवजा का आग्रह किये थे।

4. **श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, सिलादेही–** हम पॉवर प्लांट में जमीन नहीं देना चाहते। हमारी जमीन जबरदस्ती ले रहे है उसका विरोध करते हैं।

5. **श्री दीपक दूबे चांपा, एनसीपी प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़–** हमारे बिर्रा क्षेत्र में एमबी पॉवर प्लांट 2×660 मेगावॉट की जन सुनवाई है। जनसुनवाई पर यहां पहुंचे हुए ग्रामीण भाइयों को दो शब्द बोलना चाहता हूं। यह जन सुनवाई पर्यावरण को लेकर है न कि हमारी जमीन से संबंधित है न हमारे रोजगार से संबंधित है। पर्यावरण के विषय में अपनी बात रखे कि प्लांट लग रहा है तो क्या हमारे पर्यावरण को इससे बुरा प्रभाव पडेगा और जिस तरह से पॉवर प्लांट के मैनेजमेंट डायरेक्टर गोपाल कृष्ण ने कहा कि पॉवर प्लांट लगाने से पर्यावरण को दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका चिमनी 275 मीटर उंची हो मेरे हिसाब से सबसे उंची चिमनी है। क्षेत्र के पर्यावरण के लिए कंपनी के द्वारा व्यापक रूप से वृक्षारोपण करने की बात कहीं गई है। जल की व्यवस्था की जाए साथ ही महानदी में फैक्टरी के द्वारा एनीकट की स्थापना किया जाना है। हम ग्रामीण भाइयों, जन प्रतिनिधियों यहां पर पर्यावरण की बाते रखें पर्यावरण हित के बाद यह बात जायज है। श्री त्रियुगी कुमार दूबे जी ने पूर्व में 1983 को दूर दृष्टि से 23 साल पहले विधायक क्षेत्र में प्लांट लगाने की बात कहीं थी, इसके लिए गौरन्वित महसूस होता है। क्षेत्र में प्लांट लगने से हमारी क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का मूलभूत व्यवस्था हो। पढ़े–लिखे बेरोजगारों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज की व्यवस्था करायी जाए। हमारे आने वाले भविष्य में पॉवर प्लांट लगे। कुछ चंद ग्रामीणों को भड़का के

पॉवर प्लांट के विरोध में खड़े किये जा रहे हैं। आज सिलाडीह, बिर्रा, बम्हनीडीह की बात है। तो यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। स्वास्थ्य के लिए सुविधा प्रदान करें। मैं शत–प्रतिशत पॉवर प्लांट के प्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण के बातों का समर्थन करता हूं। मै आशा करता हूं कि पॉवर प्लांट लगने के बाद विकास कार्य कराये जाएंगें। किसान भाइयों छात्र–छात्राओं, मतदाताओं से अपील करता हूं कि पर्यावरण जनसुनवाई है इसमें पर्यावरण की बातें करें ।

6. **श्री राम लाल बघेल, बिर्रा** – मैं छोटा सा किसान हूं। मैं चाहता हूं कि फैक्ट्ररी यहां खुले इसके लिए मैं समर्थन करता हूं।

7. **श्रीयोगेन्द्र शराफ, बम्हनीडीह**– आज के कार्यक्रम में इसके पूर्व दीपक दूबे के वक्तव्यों का समर्थन करता हूं। काफी मुद्दत के बाद पॉवर प्लांट इस क्षेत्र में लगना अच्छी बात है। अपने क्षेत्र के सभी जनता चाहते हैं कि क्षेत्र में पॉवर प्लांट का निर्माण हो। उद्योग लगने से क्षेत्र के लोगों का भविष्य सुधरेगा, बेरोजगारी दूर होगी और इसके साथ–साथ पर्यावरण के संबंध में मैं चाहता हूं कि क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र में जो भी जनता है वो इस पॉवर प्लांट के विरोध में वक्तव्य न दें।

8. **श्री राजेश्वर प्रसाद भावे, सिलादेही**– मैं इस पॉवर प्लांट लगाने का विरोध करता हूं। यहां जितने भी सहमति जता रहे हैं, उनकी जमीन उद्योग में नहीं पड़ रहा है।

9. **श्री गुणाकर प्रसाद, सिलादेही**–मैं ग्राम सिलादेही का किसान हूं। हमारे गांव से 547 एकड़ जमीन निकलना है। हम उसके विरोध में है। इससे जल, वायु, और ध्वनि प्रदुषण होगा। जो हमको पसंद नहीं है।

10. **श्री फागूराम भारद्वाज, बिर्रा**– मैं इस पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

11. **श्री मनहरण लाल सोनवानी, सरपंच ग्राम पंचायत बिर्रा**– हमारे ग्राम बिर्रा में जो पॉवर प्लांट खोला जा रहा है और खुलवाया जा रहा है, इस संबंध में हमारे ग्राम बिर्रा में सभी किसानों जिनका खेत पड़ रहा है और जिनका खेत नहीं भी पड़ रहा है, आज इन सभी किसानों का मत है कि प्लांट के लिए सभी जमीन देने के लिए तैयार है, बशर्ते हमें मुआवजा सही ढंग से दिया जाये और प्रत्येक परिवारों में से एक को नौकरी में रखा जाए। प्लांट खूले और ग्रामिणों की गरीबी दूर होगीं। प्रदुषण की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण की जाए।

12 **श्री गोपी चंद कर्ष, जल उपभोग संस्था का अध्यक्ष, बिर्रा**– हम एमबी पॉवर प्लांट को जमीन देना चाहते हैं। लेकिन हमारे कुछ शर्त है जिसे पूर्ण किया जाये। यहां मेडिकल कालेज का निर्माण किया जाये। आईटीआई का निर्माण किया जाए। महानदी का जो जल है उसका शोधन किया जाए। रोड, सड़क आदि की सुविधा की जाए। मुआवजे की राशि 30 लाख निर्धारित की जाये और सड़क गार्डन और खासकर कालेज का निर्माण किया जाए ताकि इस क्षेत्र के बेरोजगारों का उद्धार हो सके।

13. **श्री शोभाराम वैष्णव, सिलादेही**– मैं भी किसान हूं। हम अपने जमीन देना नहीं चाहते हैं। तब हमारे उपर जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है।

14. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, संयोजक बहुजन समाज पार्टी जैजैपुर** :–साथियों आज जो जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि जो किसान साथी पॉवर प्लांट के पक्ष में है या विपक्ष में है आपस में न लड़े। अगर आप पक्ष लेते हैं तो इसका फायदा पॉवर प्लांट वाले उठायेंगे। आज यहा जन सुनवाई है। पर्यावरण को क्या क्षति होगी। मैं बताना चाहूंगा कि पॉवर प्लांट के लिए 9 सौ एकड़ जमीन लिया जा रहा है। यहां पॉवर प्लांट लगेगा, तो गतवा, सिलादेही एवं बिर्रा से जमीन चाहिए। पॉवर प्लांट लगता है तो उस जगह पर कम से कम 10 हजार पेड़ जिसमें पीपल, करंज आदि छायादार इमारती और फल देने वाले पौधें हैं ये पौधें को काटना पड़ेगा है। सिलादेही में चार तालाब आ रहा है ये चारों तालाब पॉवर प्लांट लगने से अस्तित्व में नहीं रहेगा। वहां इष्टदेव हैं उससे वंचित होना पड़ सकता है। आसपास के गांव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा जैसे कोसबंद, मोहाडीह आदि गांव की हरियाली नष्ट हो जाएगी। मैं इस पॉवर प्लांट का पूरा विरोध करता हूं।

15. **श्री दूजनाथ साहू, सिलादेही**– प्लांट लगने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, और हम भूमिहीन नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए हम प्लांट का पूरा विरोध करते हैं।

16. **श्री दिलीप कुमार भावे, सिलादेही**–पॉवर प्लांट के लिए अपने जमीन को नहीं देंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में पर्यावरण प्रदुषण होगा, वायु प्रदुषण होगा, जल प्रदुषण होगा, जिसका हमारे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा। अनेक प्रकार के गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगें और हम प्लांट के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं।

17. **श्री होरीलाल साहू, सिलादेही**–मै यह बताना चाहता हूं कि यदि हमारे गांव में पॉवर प्लांट खुलता है तो हमे हर प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। प्लांट का निर्माण से कृषकों को विकास के नहीं बल्कि यह हमारे लिए विनाश का कारण सिद्ध होगा। मूल बात यह है कि इससे अनेक प्रकार के प्रदूषण पैदा हो जाएंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु

प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो हम अपना जीवन किस तरह से निर्वाह करेंगे। हमें अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा इसलिए मैं इस पॉवर प्लांट का विरोध करता हूं।

18. **श्री रतिराम पटेल, सिलादेही**– पॉवर प्लांट के लगने से हमारे जितने व्यवसाय है, तालाब है, जंगल है ये सब के सब प्रदूषण से भर जाएगा। हमारे जितने वृक्ष है सब के सब कट जाएंगें। इसके एरियें में जितने भी जमीन पड़ रही हैं वो सब किसानों की है और हम किसान भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए मैं इन सब कारणों को देखते हुए पॉवर प्लांट का विरोध करता हूं।

19. **श्री शंकर लाल, सिलादेही**– मेरा कहना यह है कि हमारे गांव में जिधर पॉवर प्लांट लग रहा है। उधर से पानी आता है तथा गांव के तालाब से बाहर बहने लगेगा, जिससे हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। हमारे गांव में सतबहनिया मानते हैं। उनकी पूजा अराधना हर समय करते हैं। इसलिए हम अपनी मॉं को धरती मॉं को नहीं देना चाहते हैं।

20. **श्री हीरा लहरे, जोन प्रभारी जैजैपुर बहुजन समाज पार्टी** –यह जन सुनवाई पर्यावरण के विषय में बताने के लिए है। जन सुनवाई में जितने अधिकारी आये हैं जो लोग प्रदूषण की समस्या को जानते है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिलादेही, बिर्रा और गतवा में बनेगा, जिसमें कई हजार पेड़ है। जहां तक उन्हें काटना पर्यावरण के सुरक्षा के खिलाफ है। सिलादेही में जमीन नहीं देंगे।

21. **श्री हीरालाल दिवाकर, ग्राम–बम्हनीडीह** – बम्हनीडीह रोहदा में सतनामी समाज के अध्यक्ष हूं। मैं एमबी विद्युत प्लांट का समर्थन करता हूं। साथियों पर्यावरण के व्यवस्था के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। प्लांट खुले हमें विरोध नहीं है। लेकिन इर्द–गिर्द से 10 किलोमीटर दूर तक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय किया जाए। गांव–गांव में सरपंचों की मीटिंग करके वृक्ष और झाड़ लगवाया जाए। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एमबी प्लांट के लिए जिन किसानों की जमीनें ले रही है, उनको उचित मुआवजा और नौकरी प्रदान करना चाहिए । मैं इस प्लांट का समर्थन करता हूं ।

22. **श्री हीरा राम साहू, सिलादेही**– मैं एक किसान का बेटा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी लगने से हमको अनेक प्रकार की कष्टों को झेलना पड़ेगा, बीमारी झेलना पड़ेगा, और हमें अनेक प्रकार से दुर्भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे ग्राम सिलादेही में कंपनी न लगे और हम उसका जबरदस्त विरोध करते हैं।

23 **श्री नंदकुमार धीवर, बिर्रा**–मेरा जमीन पॉवर प्लांट के लिए निकल रहा है। मैं अपना जमीन देने के लिए तैयार हूं बशर्तें 30 लाख मुआवजें की राशि दी जाए। एक नौकरी देने के लिए तैयार हो तो मैं अपने जमीन को देने के लिए तैयार हूं।

24. **श्री डाकेश्वर प्रसाद दुबे, सिलादेही**– मुआवजें और पॉवर प्लांट का विरोध करता हूं। मैं पॉवर प्लांट के लिए जमीन नहीं देना चाहता हूं।

25. **श्री नंद कुमार यादव, बिर्रा**– मैं पॉवर प्लांट खुलने का सहमत हूं। चूंकि हमारे किसानों को आभास हुआ है कि हमारे गांव में सड़क चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जाए और मुआवजें की राशि 30 लाख रूपये दी जाए। मैं इस पॉवर प्लांट के लिए जमीन देने के लिए तैयार हूं।

26. **श्री महेन्द्र चंद्रा, युवा कांग्रेस जैजैपुर** –एमबी पॉवर प्लांट गतवा में लगाया जा रहा है सिलादेही बिर्रा में लगाया जा रहा है। इस पॉवर प्लांट में आने वाले समय में मुझे बहुत ही दुष्प्रभाव नजर आता है। आपको अभी बरगलाकर अधिक मुआवजे की राशि बताकर आपकी जमीन को अधिग्रहित कर रहे हैं। इसमें से कई किसानों की जमीन केवल एक एकड़ आधा एकड़, दो एकड़ जमीन है और वे सारे जमीन इस पॉवर प्लांट के क्षेत्र में आ रहा है। वे किसान जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है वे आज ये जमीन निकल जाने के बाद जीवन–यापन कैसे करेंगे। इनकी जमीन निकलने के बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगें। आज वही जमीन 14 लाख 15 लाख एकड़ में बेच रहे हैं। आप सोचते है कि अन्यत्र जाकर 3 लाख एकड़ में जमीन ले लेते हैं ये आप लोगों की बड़ी भूल है। मैं माननीय प्रशासन से निवेदन करता हूं कि और किसानों से निवेदन करता हूं कि आप अपने एक डिसमील भी भूमि इस पॉवर प्लांट मत दो, क्योंकि आने वाला समय आपको अंधकार की ओर ले जाएगा।

27. **श्रीमती गायत्री, तालदेवरी**–हमारे पास जमीन है तो हमारे बच्चों को पोष लेते है। लेकिन हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी, तो कैसे उनका भरण–पोषण करेंगें, हम अपना जमीन नहीं बेचना चाहते।

28. **श्रीमती गोदवरी, सिलादेही**–हम लोग गरीब आदमी है। हमें पैसे का लोभ नहीं है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

29. **श्रीमती अंमालिका वैष्णव, सिलादेही**–हमारे तो खेती–किसानी की जमीन नहीं है लेकिन गांव वाले मुझे ले आये। मै इस पॉवर प्लांट का विरोध करती हूं।

30. **श्रीमती रामबाई, सिलादेही**– अपने सिलादेहीं गांव में जमीन नहीं देंगे और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं।

31. **श्रीमती नर्मदा बाई साहू, सिलादेही**–हमारा जमीन नहीं है। सिलादेही वाले अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं ।

32. **श्रीमती कीर्तन बाई केंवट, सिलादेही**– हम लोग अपनी खेतीबाडी की जमीन पॉवर प्लांट में नहीं देना चाहते हैं।

33. **श्रीमती खीर बाई सतनाम, सिलादेही**– हमारे जो जमीन है उसको हम प्लांट में नहीं देना चाहते हैं।

34. **श्री अभिषेक स्वर्णकार, जैजैपुर**– मैं इस पॉवर प्लांट के विरोध में किसानों की ओर से आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। ये जो प्रस्तावित एमबी पॉवर प्लांट जिस जगह लग रहा है वहां लगभग 1 हजार एकड़ के भूमि है। अधिग्रहण की सूचना प्रकाशित हुआ है। प्रशासन भी अच्छी तरह जानती है कि यहां प्रशासन की कितनी जमीन है और किसानों की, यहां तो सभी किसानों की ही जमीन है वो सारी जमीन किसानों की है जो जीवको–पार्जन का मुख्य आधार है। इस पॉवर प्लांट में जमीन के अधिग्रहण से आपका स्वामित्व खत्म हो जाएगा।

35. **श्री जीवधरन सूर्यवंशी, इंटक अध्यक्ष बम्हनीडीह**–किसानों से मेरी अपील है कि आपको यदि जमीन की मुआवजा राशि 50 लाख क्यों न दे दें वो भी बहुत कम है। जीवन में खाने के लिए पैसे की ही जरूरत नहीं पड़ती अन्न की जरूरत पड़ती है। मैं निवेदन करता हूं कि आप अभी का नहीं सोचे भविष्य की सोचे अपने बच्चों की जिंदगी खुशहाल बनाये। किसान भाई आप अपनी जमीन सोच–समझकर बेचेंगे। बंजर भूमि में पॉवर प्लांट लगा दे।

36. **श्री बुधराम पाण्डे, सिलादेही**– हम लोग पॉवर प्लांट के लिए अपना जमीन नहीं देंगे। इसके लिए अपनी जान समर्पण करने के लिए तैयार है।

37. **श्री खेमलाल साहू, सिलादेही**– मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसान ही रहना चाहता हूं। बेरोजगार, बेरोजगार ही रहे रोजगार बनाना है। तकि हम अपनी इच्छा अनुसार रोजगार बना सकते हैं। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

38. **श्री सुखदेव सिंह मधुकर, तालदेवरी**–पॉवर प्लांट के विरोध में या पक्ष में जन सुनवाई आज की तारीख में आयोजित है। ग्राम पंचायत बिर्रा में पॉवर प्लांट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारे अधिकारी कर्मचारी किसान भाई सब के सब छत्तीसगढ़ियां है। हमारी पारिवारिक संपत्ति इससे नष्ट हो जाएगी। इस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। सिलादेही में चार तालाब आ रहा है। ये चारों तालाब पॉवर प्लांट लगने से अस्तित्व में नहीं रहेगा। आसपास के गांव

में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे कोसबंद, मोहाडीह आदि गांव की हरियाली नष्ट हो जाएगी। मैं इस पॉवर प्लांट का पूरा विरोध करता हूं।

39. **श्री निर्मल सिंह, पूर्व विधायक मालखरौदा**– आज एमबी पॉवर प्लांट के जन सुनवाई है। हमारे जांजगीर चांपा जिले में कितने पॉवर प्लांट है अगर 52 पॉवर प्लांट जांजगीर जिलें में खुल रहा है। अभी यह प्लांट बिर्रा में बनेगा कि सिलादेही में या गतवा में बनेगा। अभी यह तय नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में पॉवर प्लांट लगाना अच्छी बात है। प्लांट लगने से पूरे जिले का तापमान बढ़ जाएगा। राहत राशि कितना प्रदान करेंगे, नौकरी देंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग कालेज खोलेंगे। सायेबेरीयन पक्षी कहां जायेंगे। इको सिस्टम का क्या होगा। मै पुरजोर विरोध करता हूँ। यह क्षेत्र किसानो का है। प्रत्येक लोगो को 1 करोड़ का मुआवजा दें। जांजगीर–चांपा जिले को मुफ्त बिजली दे। एक मेडिकल कॉलेज का आधारशीला रखें। उसके बाद बात करें।

40. **श्री छतराम साहू, गतवा सरपंच**–हम लोग हमारी धरती माता और हमारी जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है।

41. **श्री लोकेश शुक्ला सरपंच, ग्राम पंचायत केरा**–ग्राम केरा के प्रथम नागरिक होने के नाते सभी ग्रामवासियों मैं इस पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं, लेकिन यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि हमारी साख को ठेस पहूंचाया गया और स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ खेले तो पत्थर खाने के लिए भी तैयार है। मैं एमबी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

42. **श्री राम प्रसाद आदित्य, केरा**–आदर्श ग्राम पंचायत केरा के संरपंच श्री लोकेश के बातों का समर्थन करता हूं। मैं इस पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

43. **श्री दिनेश शर्मा, जिला पंचायत चांपा**–दिल्ली में केंन्द्र सरकार ने और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया, जिसमें यह कहा गया ग्रीन ट्रिबुनल में हरियाली को बनाये रखे। ये पर्यावरण की सुनवाई है। हम आपके यहां जैव–विविधता के बारे में बात करते हैं। जैव–विविधता अधिनियम 2002 से है। कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। एमबी पावर इस बारे में क्या व्यवस्था करेंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपको अपना दायित्व समझना चाहिए। लोगों के प्रति आपका दायित्व क्या है यह भी आपको भान होना चाहिए। वायु प्रदुषण और जल प्रदुषण कैसे होता है। 1981 के वायु प्रदुषण निवारण के तहत प्रदुषित होने का भी अवलोकन होना चाहिए तब इस जन सुनवाई का अर्थ है। ये जन सुनवाई है हर आदमी अपनी बात रखे, अपना पक्ष निशिचित रूप से रखें, और जिस दिन आपके उसमें ऐसी कोई बात होगी, जिससे विरोध की

आवश्यकता है तो दूसरों की तरह अमल कर सकते हैं। हम आवाज बुलंद करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं।

44. **श्रीमती गुवारी बाई, सिलादेही**– हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

45. **श्री महंत रामसुंदर दास जी, माननीय विधायक जैजैपुर**– एमबी पॉवर की स्थापना के लिए ये जन सुनवाई जो रखा गया है। निश्चित रूप से इस जन सुनवाई के आयोजन पर ही प्रश्न उठता है जिस तरह घेराबंदी करके जो जन सुनवाई किया जा रहा है, इसका हम भी पूरजोर विरोध करते है। क्योंकि इस प्लांट के लग जाने से केवल बिर्रा ही नहीं सिलादेही ही नहीं भारतीय पुरातत्व विभाग के आठवी सताब्दी का भगवान शिवरीनारायण मंदिर भी प्रभावित होगा। इसके साथ महानदी, शिवनाथ नदी, सोन नदी का पानी भी प्रदुषित होगा। एमबी पॉवर प्लांट निश्चित रूप से नहीं खुलनी चाहिए। जनता चाह रही है तो मोजर वियर प्लांट नहीं खुलेगा।

46. **श्री परसराम भारद्वाज, पूर्व सांसद**– यहां जो हो रहा है, इसका भरपूर विरोध करते हैं। यहां की जमीन को नहीं दिये जाएंगे और किसान अपने बलबूते पर काम करें। यही मूल भावना है। किसानों की भूमि को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। हमारी खेती–किसानी की जो जमीन है, न दे। हम सभी प्रकार से उनका साथ देंगे। हमारी भावना इस फैक्ट्ररी लगाने वाले समझे। खेती किसानी करने वाले साथियों को नुकसान हो रहा है, और उसका भरपूर विरोध करते हैं ।

47 **श्रीमती द्वासबाई, सिलादेही** –हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। मैं इस पावर प्लांट का विरोध करती हूँ।

48. **श्रीमती जानकी बाई, सिलादेही**– हम लोग किसी को जमीन नहीं देंगे।

49. **श्रीमती अगरबत्ती, सिलादेही**– पावर प्लांट को जमीन नहीं देना चाहते है।

50. **श्रीमती श्यामबाई, सिलादेही**–हम लोग अपने जमीन को पावर प्लांट लगाने के लिए नहीं देंगे। मैं इस पावर प्लांट का विरोध करती हूँ।

51. **श्रीमती रूपकुंवर साहू**– मैं अपनी जमीन को नहीं देना चाहती हूं।

52. **श्री औलेश्वर सरपंच, बनडभरा**– मोजर वियर इस स्थान के किसानो के लिए क्या किया। यहां हमको आपकी जरूरत नहीं है।

420

53. **श्रीमती कमलाबाई, सिलादेही**–हम सब कृषक हैं, खेती से ही हमारा जीवकोपार्जन होता है। इसलिए हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे।

54. **श्रीमती रूखमीन बाई, सिलादेही** –मैं इस पावर प्लांट के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हूँ।

55. **श्री रितेश तिवारी, सिलादेही**– सिलादेही और बिर्रा में मेरा डेढ एकड जमीन है। जिस जमीन को पॉच लाख एकड में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा जमीन का फैसला एक साल से लंबित है। मैं उस जमीन को पावर प्लांट को देना चाहता हूँ। मैं बिर्रा के जमीन को पावर प्लांट को देना चाहता हूँ।

56 **श्री भकुल यादव, बिर्रा** –मैं अपनी जमीन पॉवर प्लांट वालो को देना चाहता हूँ।

57. **श्रीमती मुरली बाई साहू, सिलादेही**–हम अपनी जमीन नहीं देंगे ।

58. **श्रीमती बुटेनी बाई, सिलादेही**–प्लांट के लिए जमीन नहीं देंगे ।

59. **श्रीमती भगवती बाई, सिलादेही**–हम प्लांट में जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे।

60. **श्रीमती तेरस बाई सिलादेही**–अगर सिलादेही में कोई जमीन दे दे तो उसका नाम बता दो। हम उसका भरपूर विरोध करते है। हमको नौकरी नहीं चाहिए हमको पैसा नहीं चाहिए हमको भूमि चाहिए।

61. **श्रीमती दुलौरी बाई, सिलादेही**–हम अपनी जमीन नहीं देंगे ।

62. **श्रीमती गुलाब बाई, सिलादेही**–हम लोग जमीन नहीं देंगे ।

63. **श्रीमती अंमरीका बाई, सिलादेही**–हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

64. **श्रीमती मोहनमति, सिलादेही**–जमीन नहीं देंगे और न ही पैसा लेंगे।

65. **श्री रवि साहू, बिर्रा**– हमारे गांव में प्लांट खुले और अपना जमीन देने के लिए तैयार है।

66. **श्री नीरचंद साहू, सिलादेही**– आदमी के लिए बिजली, लोहा से ज्यादा जरूरी खेती है। मेडिकल कॉलेज सरकार खोले। हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं ।

67. **श्री रवि भारद्वाज**–गांव के जितने भी आये हुए आप मन के बीच में जो यहां जन सुनवाई हो रहा है। उसका मैं पूरा विरोध कर रहा हूं और यहां के जितने भी किसान है उन लोग भी विरोध करते हैं। कंपनी को प्लांट खोलने के लिए 9 सो एकड़ भूमि की आवश्यकता है। एक तिहाई जमीन खरीदी ली। भूमि अधिग्रहण के लिए इसका पूरजोर विरोध करता हूं। इसके लिए एक डिसमील जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

68. **श्रीमती भूरी बाई साहू, सिलादेही**–हम लोग जमीन नहीं देंगे।

69. **श्रीमती जयमति, सिलादेही**–हम लोग जमीन नहीं देंगे।

70. **श्रीमती भगवती साहू, सिलादेही**–पॉवर प्लांट में जमीन नहीं देना चाहते हैं।

71. **श्रीमती गोमती बाई, सिलादेही**– हमारे जमीन को हम प्लांट में नहीं देना चाहते हैं ।

72. **श्रीमती गंगाबाई, सिलादेही**–हमारे जमीन को नहीं देंगें।

73. **श्रीमती भानमति सिलादेही**–हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं।

74. **श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, सिलादेही**–किसान भाइयों सरकार के हर नियम को मानने के लिए हम लोग बाध्य नहीं है। हम अपनी जमीन को प्लांट के लिए देना नहीं चाहतें।

75. **श्रीमती चंद्रिका बाई सिलादेही**–हम लोग प्लांट में जमीन नहीं देना चाहते हैं ।

76. **श्री उतरा कुमार साहू, गतवा**–अगर किसानों से जमीन छीन रहा है तो वह किसान से किसान नहीं रह जाएगा। हम इसी कारण से प्लांट में जमीन नहीं देना चाहते है।

77. **श्री विजय कुमार दुबे, बिर्रा**–सभी लोग यहा जन सुनवाई में उपस्थित है। जन प्रतिनिधि यहां बोल रहे हैं कि जबकि यहां किसानों के लिए जन सुनवाई रखी गई है। यहां कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी जमीन है, आप दीजिये या न दीजिये। मै अपना जमीन देने को तैयार हूँ।

78. **श्री लालमणी चौहान, बिर्रा**–छ0ग0 धान का कटोरा कहलाता है। विकास का ये परिभाषा नहीं है। कि गला काट के विकास करें। विकास सही ढंग से हो हर जनता का बात सुने तब कार्यवाही करें। जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत। मैं अपनी बात जनता के सामने रखना चाहता हूं जनता की भाषा को समझे और उसके हिसाब से करना चाहिए।

79. **श्रीमती फूलबाई, सिलादेही**–हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं ।

80. **श्रीमती लक्ष्मी बाई, सिलादेही**– हम लोग अपनी जमीन को नहीं देना चाहते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से 745 के द्वारा लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार दिया गया, जिन्हे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पावती दी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 2500–3000 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 80 वक्ताओं ने उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त किये तथा उपस्थित जन समुदाय मे से 77 लोगो द्वारा अपने उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई गई।

अंत में अपर कलेक्टर द्वारा सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

21.10

(डॉ0 सी0 बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

(के. एल. चौहान) 21/10/11
अपर कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा